

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३०५] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर २१, १९७३/अग्रहायण ३०, १८९५
No. 305] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 1973/AGRAHAYANA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December 1973

G.S.R. 533(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Tamil Nadu Coarse Grains (Export Control) Order, 1964, namely:—

1. (1) This order may be called the Tamil Nadu Coarse Grains (Export Control) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Tamil Nadu Coarse Grains (Export Control) Order, 1964 in clause 2, for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(b) “Coarse grains” mean any of the Coarse grains specified in the Schedule below and include products made therefrom including broken or flour of such grains.”

[No. 10(1)(TN)/73-WT.IV/WT.III]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1973

सा० का० नि० 533 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिल नाडु मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम तमिलनाडु मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 है।

(2) यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. तमिल नाडु मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 में, खण्ड 2 में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उद्घाटन रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) “मोटा अनाज” से निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मोटे अनाजों में से कोई अनाज अभिप्रेत है और उनके अन्तर्गत ऐसे अनाजों को किन्हीं या आटा सहित उससे बने उत्पाद भी सम्मिलित है।”

10 (1) (टी एन)/73-डब्ल्यू टी 4/डब्ल्यू टी 3]

विषय-सम्बन्ध, संयुक्त सचिव।